

धारा 80G से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न - NUDGE अभियान

1. **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G क्या है?** धारा 80G के अंतर्गत कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में निर्धारित की कुल आय की गणना करते समय कटौती प्रदान की जाती है। इस धारा की व्यापक संरचना नीचे दी गई है:

उप-धारा	खंड	उप-खंड	
(1)			यह व्याख्या करता है कि कोई व्यक्ति कितनी कटौती का दावा कर सकता है। यह कुल कटौती की गणना के लिए एक सूत्र प्रदान करता है: 1. यदि दानों में "विशेष निधियाँ" (उप-धारा (2) में सूचीबद्ध) सम्मिलित हैं, तो उन विशेष दानों पर 100% कटौती + शेष दानों पर 50% कटौती प्राप्त होती है। 2. यदि दान केवल "अन्य पात्र निधियों" को दिए गए हैं, तो कुल दान राशि पर 50% कटौती प्राप्त होती है।
(2)			यह उन दानों की जानकारी देता है जो कटौती के लिए पात्र हैं। इसमें कटौती के लिए पात्र सभी निधियों/संस्थाओं की एक व्यापक सूची सम्मिलित है:
	(a)		इसमें कई उप-खंडों वाली मुख्य सूची सम्मिलित है:
		(i) से (iiihm)	विशिष्ट सरकारी एवं राष्ट्रीय निधियाँ (जैसे राष्ट्रीय रक्षा कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष, स्वच्छ गंगा निधि आदि) – इन पर बिना किसी सीमा के 100% कटौती उपलब्ध होती है।
			स्मारक निधियाँ (नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी फंड) – इन पर बिना किसी सीमा के 50% कटौती मिलती है।
		(iv)	अन्य अनुमोदित निधियाँ एवं संस्थान
		(v)	धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए सरकार/स्थानीय प्राधिकरण
		(vi)	आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण
		(via)	धारा 10(26BB) के अंतर्गत विशेष निगम
		(vii)	परिवार नियोजन के लिए सरकारी/अनुमोदित निकाय
	(b)		ऐतिहासिक/पुरातात्विक महत्व वाले अधिसूचित धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए दिए गए दान।
	(c)		खेल की आधारभूत संरचना के विकास तथा प्रायोजन के लिए कंपनियों द्वारा दिए गए दान
	(d)		गुजरात भूकंप राहत के लिए दान (केवल विशेष अवधि के लिए)
(4)			कुछ दानों के लिए अधिकतम सीमा दी गई है। खंडों (a)(iv), (a)(v), (a)(vi), (a)(via), (a)(vii), (b), और (c) के तहत दानों के लिए – कुल कटौती दाता की समायोजित सकल कुल आय के 10% तक सीमित है। इस 10% सीमा से अधिक कोई राशि ध्यान में नहीं रखी जाती।
(5)			संस्थाओं के लिए पात्रता की शर्तें बताता है। यह 9 शर्तों (खंड i से ix तक) की सूची देता है, जिन्हें संस्थाओं को धारा 80G के तहत पात्र होने के लिए पूरा करना पड़ता है। ये हैं: • संस्था की आय धारा 11, 12, या 10(23AA)/10(23C) के तहत कर-मुक्त होनी चाहिए

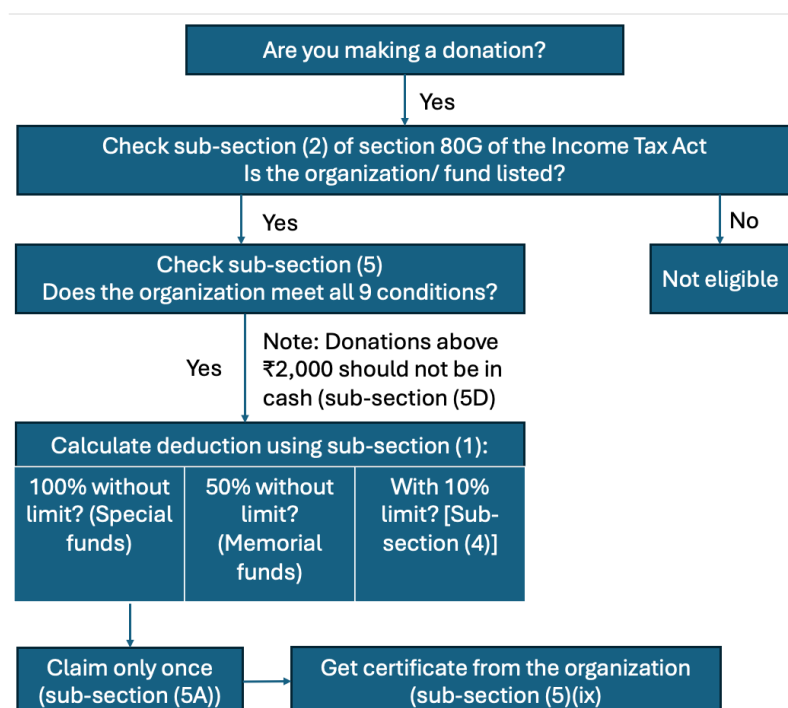
		• न्यास विलेख में निधियों का उपयोग अधर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किए जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए • किसी विशेष धर्म या जाति के लाभ के लिए स्थापित या संचालित नहीं होना चाहिए • नियमित लेखा-पुस्तकें बनाए रखनी चाहिए • विधिवत पंजीकृत होना चाहिए (न्यास के रूप में, सोसाइटी के रूप में, कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, या विश्वविद्यालय के रूप में) • मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित होना चाहिए • 2007-08 में अनुमोदित संस्थाओं के लिए विशेष माने जाने का प्रावधान • आयकर अधिकारियों के पास निर्धारित विवरण फ़ाइल करने चाहिए • दाताओं को दान प्रमाण-पत्र देने चाहिए
(5A)		यदि आपने किसी राशि के लिए धारा 80G के तहत कटौती का दावा किया है, तो आप वही राशि आयकर अधिनियम के किसी अन्य धारा के तहत दावा नहीं कर सकते यानी, एक दान, केवल एक कटौती
(5D)		यह नकद दान की सीमा देता है। ₹2,000 से अधिक नकद दान पर कोई कटौती नहीं की जाती। भुगतान के स्वीकार्य माध्यम चेक, ड्राफ्ट, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं।
(5E)		निर्दिष्ट तिथि से पहले लंबित आवेदनों को अपडेटेड नियमों के अंतर्गत नए आवेदनों के रूप में माना जाएगा।
• व्याख्या 2A		कटौती का दावा उस जानकारी के आधार पर सत्यापित किया जाएगा जो 80G(5) के अंतर्गत पंजीकृत आदाता संस्था ने कर अधिकारियों को जमा की है।
• व्याख्या 3		धर्मार्थ उद्देश्य का अर्थ: धर्मार्थ उद्देश्य में वे गतिविधियाँ शामिल नहीं होती हैं जो पूर्णतः या अधिकांशतः प्रकृति से धार्मिक हैं।
• व्याख्या 4		सरकार द्वारा निर्दिष्ट खेल संघों को धर्मार्थ संस्थाओं के रूप में माना जाता है।
• व्याख्या 5		कटौती केवल मौद्रिक दानों के लिए अनुमत है, वस्तु-रूप दानों के लिए नहीं।

2. **दान और कटौतियों में क्या अंतर है?** दान वह वास्तविक राशि है जो किसी धर्मार्थ संगठन, न्यास या निधि को दी जाती है। हालाँकि, कटौती वह कर लाभ है जो आपको किसी भी पात्र आदाता को दान देने पर मिलता है, जब आप अधिनियम की धारा 80G के मौजूदा नियमों और प्रावधानों के अनुसार अपनी कर योग्य आय की गणना करते हैं।
3. **दानकर्ता और आदाता में क्या अंतर है** दानकर्ता वह व्यक्ति होता है जिसने किसी पात्र संस्था या न्यास या निधि को दान के रूप में कोई राशि दी हो। आदाता वह पात्र संगठन या न्यास या निधि होता है जो विभिन्न व्यक्तियों से दान के रूप में राशि स्वीकार करता है।
4. **धारा 80G के अंतर्गत कटौती का दावा कौन कर सकता है?** कोई भी करदाता – जिसमें व्यक्ति, एच.यू.एफ., कंपनियाँ, फर्म या कोई अन्य व्यक्ति शामिल हैं – जिसके पास कर योग्य आय है और जिसने किसी पात्र संस्था को दान दिया है, वह इस धारा के अंतर्गत कटौती का दावा कर सकता है।
5. **80G के अंतर्गत कौन-कौन से दान की अनुमति है?** धारा 80G(1), 80G(2) और 80G(4) के अनुसार, दान कटौती सीमाओं के आधार पर चार श्रेणियों में आते हैं:

श्रेणी	कटौती की राशि	अधिकतम सीमा
100% बिना सीमा के	पूर्ण दान राशि	कोई सीमा नहीं
50% बिना सीमा के	दान की राशि का 50%	कोई सीमा नहीं

100% सीमा सहित	पूर्ण दान राशि	समायोजित सकल कुल आय का 10%
50% सीमा सहित	दान की राशि का 50%	समायोजित सकल कुल आय का 10%

6. **क्या सभी दान 80G कटौती के लिए पात्र हैं?** नहीं। केवल वही दान पात्र हैं जो निर्दिष्ट न्यासों, धर्मार्थ निधियों या संस्थाओं को किए गए हों, जिन्हें अधिनियम की धारा 80G(2)(a) के तहत विशेष रूप से उल्लिखित किया गया है, और जो न्यास या संस्थाएँ आयकर विभाग द्वारा धारा 80G के तहत पंजीकृत और अनुमोदित हैं। दाताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे न्यास, संस्था या धर्मार्थ निधि (आदाता) के संबंधित विवरणों की जाँच और पुष्टि करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह धारा 80G के तहत पात्र है और लागू कटौती की सही श्रेणी निर्धारित की जा सके। एक त्वरित संदर्भ फ़्लोचार्ट नीचे दिया गया है।



7. **ऐसे दानों के उदाहरण क्या हैं जो बिना किसी पात्रता सीमा के 100% कटौती के लिए पात्र हैं?** धारा 80G(2) की उप-धारा (a) [उप-खंड (i), (iia), (iiaa), (iiab), (iiib), (iiie), (iiif), (iiig), (iiiga), (iiih), (iiha), (iihb), (iihc), (iihd), (iihe), (iihf), (iihg), (iihh), (iihi), (iihj), (iihk), (iihl), (iihm)] और उप-धारा (d) के अंतर्गत सूचीबद्ध निधियों या संस्थाओं को दिए गए दान **बिना किसी पात्रता सीमा के 100% कटौती के लिए पात्र हैं।** इस प्रकार, कुल 24 निधियाँ/श्रेणियाँ हैं जो बिना किसी पात्रता सीमा के 100% कटौती के लिए पात्र हैं, और इनकी सूची परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है:
8. **ऐसे दान के उदाहरण क्या हैं, जो किसी पात्रता सीमा के बिना 50% कटौती के लिए पात्र हैं?** धारा 80G(2) की उप-धारा (a) के उप-खंड (iii) के अंतर्गत सूचीबद्ध निधियों या संस्थाओं [अर्थात् प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष] को दिए गए दान, अधिनियम की धारा 80G के तहत दान राशि के 50% के बराबर कटौती के लिए पात्र हैं, और इस पर कोई पात्रता सीमा लागू नहीं होती है। ध्यान दें कि उप-खंड (ii), (iiic) और (iiid) को वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा 01.04.2023 से प्रभावी रूप से हटा दिया गया है।

9. **ऐसे दान के उदाहरण क्या हैं, जो पात्रता सीमा के साथ 100% कटौती के लिए पात्र हैं?** धारा 80G(2) की उप-धारा (a) [उप-खंड (vii)] और उप-धारा (c) के अंतर्गत सूचीबद्ध निधियों या संस्थाओं को दिए गए दान, अधिनियम की धारा 80G के तहत **पात्रता सीमा के साथ 100% कटौती** के लिए पात्र हैं।
धारा 80G(2)(a)(vii) – सरकार या ऐसी किसी स्थानीय प्राधिकरण, संस्था या संघ को, जिसे इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो, परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपयोग किए जाने के लिए।
धारा 80G(2)(c): किसी दाता, जो एक कंपनी है, द्वारा पिछले वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ या भारत में स्थापित किसी अन्य संघ या संस्था को दान के रूप में दी गई कोई भी राशि, जिसे केंद्र सरकार, निर्धारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट करे।
 (i) खेलकूद और खेलों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए; या
 (ii) खेलकूद एवं खेलों के प्रायोजन के लिए
10. **ऐसे दान के उदाहरण क्या हैं, जो पात्रता सीमा के साथ 50% कटौती के लिए पात्र हैं?** धारा 80G(2)(a) (उप-धाराएँ (iv), (v), (vi), (via)) और धारा 80G(2)(b) के अंतर्गत उल्लिखित निधियों या संस्थाओं को दी गई कोई भी राशि कटौती के लिए पात्र है। इसके अतिरिक्त, धारा 80G(2)(a)(iv) के अंतर्गत उल्लिखित संस्थाओं को अधिनियम की धारा 80G(5) में वर्णित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। अतः, पात्रता सीमा के साथ 50% कटौती के लिए पात्र पाँच श्रेणियाँ निम्नलिखित हैं:
1. कोई भी निधि या कोई भी संस्था जिस पर यह धारा लागू होती है;
 2. सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण, जिसका उपयोग किसी धर्मार्थ उद्देश्य के लिए किया जाना हो; परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के अतिरिक्त;
 3. भारत में किसी कानून द्वारा या उसके अधीन गठित कोई प्राधिकरण, जिसका उद्देश्य आवास की आवश्यकता से निपटना और उसकी पूर्ति करना या शहरों, कस्बों और गाँवों की योजना, विकास या सुधार करना, या दोनों हो;
 4. धारा 10 के खंड (26BB) में उल्लिखित कोई भी निगम;
 5. पिछले वर्ष में निर्धारित द्वारा ऐसे किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य स्थान के जीर्णोद्धार या मरम्मत के लिए दान के रूप में दी गई कोई भी राशि, जिसे केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से ऐतिहासिक, पुरातात्विक या कलात्मक महत्व का या सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में घोषित किया गया हो।
11. **दाता यह कैसे जान सकता है कि धारा 80G के तहत उसके दान की कटौती श्रेणी क्या है?** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G में दान की कटौती श्रेणी निर्धारित की गई है। कटौती अधिनियम की धारा 80G में परिभाषित चार श्रेणियों में से किसी एक में आती है (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संख्या 5 से 10 देखें), जिसके आधार पर दाता कटौती श्रेणी निर्धारित कर सकता है। जहाँ भी लागू हो, दाताओं को आदाता से **दान प्रमाण-पत्र फ़ॉर्म 10BE** (आयकर नियम, 1962 के नियम 18AB के अनुसार) प्राप्त करना भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, आदाता के विवरण प्राप्त करने के लिए दाता इस लिंक पर जा सकता है: <https://incometaxindia.gov.in/Pages/utilities/exempted-institutions.aspx>.
 दाताओं को सलाह दी जाती है कि वे न्यास या संस्था या निधि (आदाता) के विभिन्न विवरणों की जाँच और पुष्टि कर लें, ताकि दान प्राप्तकर्ता की पात्रता और वह जिस कटौती श्रेणी से संबंधित है, उसे समझ सकें।
12. **क्या सभी नकद दान धारा 80G के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र हैं?** नहीं, धारा 80G के अंतर्गत किसी भी दान की ऐसी राशि के संबंध में कोई कटौती अनुमत नहीं होगी, जो **दो हजार रुपये** से अधिक हो, जब तक कि ऐसी राशि नकद के अलावा किसी अन्य माध्यम से भुगतान न की गई हो (धारा 80G(5D))।
13. **यदि धारा 80G के अंतर्गत कटौती का दावा किया जाता है और उसकी अनुमति दे दी जाती है, तो क्या मैं उसी राशि की कटौती का दावा अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत भी कर**

सकता/सकती हूँ? नहीं, जिस राशि के संबंध में धारा 80G के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई है, वह उसी निर्धारण वर्ष या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के अंतर्गत कटौती के लिए पात्र नहीं होगी (धारा 80G(5A))।

14. **आयकर विभाग मेरी आय की विवरणी में किए गए कटौती के दावे का सत्यापन कैसे करेगा?** आयकर नियम, 1962 के नियम 18AB के अनुसार, कुछ श्रेणी के आदाताओं के लिए **फॉर्म 10BD** फ़ाइल करना अनिवार्य है, जिसमें प्रत्येक दाता से संबंधित विस्तृत विवरण सम्मिलित होता है— जैसे कि उसका **पैन या आधार संख्या, नाम, पता और दाता द्वारा दी गई दान राशि आदि**। अतः, यह अनिवार्य है कि दाता द्वारा अपने आई.टी.आर. में धारा 80G के अंतर्गत दावा की गई कटौती, दान प्राप्तकर्ता द्वारा फॉर्म 10BD में प्रस्तुत किए गए विवरणों से मेल खाए।
15. **क्या नई कर व्यवस्था के अंतर्गत धारा 80G के अंतर्गत कटौती का दावा किया जा सकता है?** नहीं, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAC के अनुसार, यदि आप नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो धारा 80G के अंतर्गत कटौती का दावा नहीं किया जा सकता है।

आई.टी.आर. में अनुसूची 80G फ़ाइल करने से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

16. **आई.टी.आर. फ़ाइल करते समय धारा 80G के अंतर्गत कटौती का दावा कैसे करें?** धारा 80G के अंतर्गत कटौती का दावा करने के चरण निम्नलिखित हैं:
- अपने आई.टी.आर. फ़ॉर्म में “अध्याय VI-A के अंतर्गत कटौतियाँ” पर जाएँ।
 - धारा 80G का चयन करें।
 - दान प्राप्तकर्ता का विवरण, दान की राशि और पात्र कटौती का विवरण दर्ज करें।
17. **80G कटौती का दावा करने के लिए कौन-से विवरण आवश्यक हैं?** कटौती का दावा करने के लिए, आपको निम्नलिखित विवरणों की आवश्यकता होगी:
- न्यास/एनजीओ से प्राप्त दान रसीद, जिसमें निम्नलिखित विवरण हों:
 - आदाता का नाम एवं पैन
 - आदाता का पता
 - 80G के अंतर्गत पंजीकरण संख्या
 - दान राशि
18. **यदि मेरे पास आदाता का पैन नहीं है, तो क्या करें?** धारा 80G के अंतर्गत पंजीकृत धर्मार्थ न्यास, संगठन या निधि द्वारा फ़ॉर्म 10BE जारी किया जाता है, जिसमें आदाता का नाम, पता, पैन, विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यू.आर.एन.) आदि का विवरण होता है। दाता, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के अंतर्गत कटौती का दावा करने के लिए आवश्यक विवरण प्राप्त करने हेतु संबंधित न्यास, संगठन या निधि से यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकता है। दाता, निम्नलिखित लिंक पर न्यास, संगठन या निधि का नाम दर्ज करके भी पैन का विवरण प्राप्त कर सकता है:
- <https://incometaxindia.gov.in/Pages/utilities/exempted-institutions.aspx>.
19. **क्या मैं दावा न की गई दान राशि को अगले वर्ष के लिए आगे ले जा सकता/सकती हूँ?** धारा 80G के अंतर्गत, यदि आपकी कुल पात्र दान राशि पात्रता सीमा से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि को भविष्य के किसी वर्ष में कटौती के लिए आगे नहीं ले जाया जा सकता।
20. **यदि दान प्राप्त करने वाली संस्था का 80G पंजीकरण समाप्त या रद्द हो जाए तो क्या होगा?** 80G प्रमाणपत्र के रद्द होने या उसकी वैधता समाप्त होने के बाद किए गए दान कटौती के लिए पात्र नहीं होते हैं। इसलिए, दाताओं के लिए यह सत्यापित करना आवश्यक है कि जिस संस्था को दान दिया गया है, वह उस संबंधित निर्धारण वर्ष, जिसके लिए कटौती का दावा किया जा रहा है, के दौरान आयकर अधिनियम

के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत थी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दान कटौती के लिए पात्र है।

21. **समायोजित सकल कुल आय (समायोजित जी.टी.आई.) क्या है?** समायोजित सकल कुल आय, सकल कुल आय (धारा 80B(5) में परिभाषित; "सकल कुल आय" से अभिप्राय आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VI-A के अंतर्गत कोई भी कटौती करने से पूर्व, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गणना की गई कुल आय) में से निम्नलिखित का कुल योग घटाने पर प्राप्त राशि है:

- धाराओं 80C से 80U के अंतर्गत कटौती योग्य राशि (किन्तु धारा 80G के अंतर्गत नहीं)
- करमुक्त आय
- दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ
- धारा 111A के अंतर्गत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ
- धाराओं 115A, 115AB, 115AC, 115AD तथा 115D में उल्लिखित आय

22. **धारा 80G के अंतर्गत कटौती की गणना कैसे करें?** कटौती की पात्र राशि की गणना निम्नानुसार की जा सकती है:

चरण 1: अध्याय VI-A (धारा 80G सहित) के अंतर्गत कोई भी कटौती का दावा करने से पूर्व अपनी सकल कुल आय की गणना करें।

चरण 2: समायोजित कुल आय की गणना करें –

- सकल कुल आय में से धारा 80G के अंतर्गत कटौती को छोड़कर अन्य सभी कटौतियाँ घटाएँ।
- साथ ही, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, धारा 111A के अंतर्गत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ तथा धाराओं 115A, 115AB, 115AC और 115AD के अंतर्गत आय को भी बाहर रखें।
- प्राप्त राशि को समायोजित कुल आय कहा जाता है।

चरण 3: समायोजित कुल आय का 10% निकालें। इसे पात्रता सीमा कहा जाता है। यह उन दानों की श्रेणी पर लागू होती है जो सीमा के अधीन हैं।

चरण 4: दानों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करें:

- बिना किसी सीमा के 100% की कटौती (a)
- बिना किसी सीमा के 50% की कटौती (b)
- पात्रता सीमा (c) के अधीन 100% की कटौती
- पात्रता सीमा (d) के अधीन 50% की कटौती

परिशिष्ट-1

1. केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय रक्षा कोष
2. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष अथवा प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपातकालीन स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)
3. प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष
4. अफ्रीका (सार्वजनिक अंशदान - भारत) निधि
5. राष्ट्रीय बाल कोष
6. राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान
7. ऐसा विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोई शैक्षणिक संस्थान, जिसे इस संबंध में विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो
8. महाराष्ट्र मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 अक्टूबर, 1993 से 6 अक्टूबर, 1993 तक की अवधि के दौरान दिया गया कोई भी अंशदान अथवा महाराष्ट्र मुख्यमंत्री भूकंप राहत कोष में दिया गया कोई भी अंशदान
9. गुजरात में भूकंप पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष रूप से गुजरात राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई भी निधि
10. किसी जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कोई भी जिला साक्षरता समिति, जिसका उद्देश्य उस जिले के गाँवों और नगरों में प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना तथा साक्षरता एवं साक्षरता-उपरांत गतिविधियों को बढ़ावा देना हो
11. राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद अथवा किसी राज्य की रक्त आधान परिषद
12. गरीबों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई भी निधि
13. थल सेना केंद्रीय कल्याण निधि, भारतीय नौसेना परोपकारी निधि तथा वायु सेना केंद्रीय कल्याण निधि
14. आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चक्रवात राहत कोष
15. राष्ट्रीय रोग सहायता कोष
16. मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष (किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का)
17. केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय खेल विकास कोष

18. केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष
19. केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग निधि
20. ऑटिज़्म, प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरेब्रल पाल्सी), मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित ऑटिज़्म, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, मानसिक मंदता तथा बहुविकलांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास
21. केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुपालन में निर्धारक द्वारा व्यय की गई राशि के अतिरिक्त।
22. केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ गंगा निधि, जहाँ ऐसा निर्धारिती भारत का निवासी हो तथा उक्त राशि, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 की उपधारा (5) के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अनुपालन में निर्धारक द्वारा व्यय की गई राशि के अतिरिक्त हो।
23. मादक पदार्थों के दुरुपयोग के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष
24. 26 जनवरी, 2001 से प्रारंभ होकर 30 सितंबर, 2001 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, गुजरात में भूकंप पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए इस धारा के अंतर्गत आने वाले किसी न्यास, संस्था या कोष को निर्धारक द्वारा अदा की गई कोई भी राशि।